UPUN010033212026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–3, उन्नाव।

पीठासीन अधिकारी– प्रेम प्रकाश, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06506

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1398/2026

आशीष कुमार उर्फ आशीष टाइगर आयु लगभग 36 वर्ष पुत्र श्री मुनेश्वर रावत, निवासी सराय शहजादी, कटी बगिया, थाना बंथरा जिला लखनऊ। .....**प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

सरकार उ0प्र0 द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, उन्नाव। .....**विपक्षी**

अपराध सं0–129/2026
धारा–191(2), 115(2), 352, 351(3), 109(1) बी0एन0एस0
थाना–सोहरामऊ, जिला–उन्नाव।

दिनांक–04.07.2026

1– आवेदक/अभियुक्त आशीष कुमार उर्फ आशीष टाइगर की ओर से धारा–482 बी0एन0एस0एस0 में प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0–1398/2026, अपराध सं0–129/2026, अन्तर्गत धारा–191(2), 115(2), 352, 351(3), 109(1) बी0एन0एस0, थाना सोहरामऊ, जनपद–उन्नाव पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व वादी के प्राइवेट अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

2– उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में आवेदक/अभियुक्त की तरफ से यह कथन किया गया है कि, प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त दाण्डिक वाद में गलत तरह से झूठा आरोप लगाकर अभियक्त बनाया गया है, जबकि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। संक्षेप में अभियोजन पक्ष का कथन है कि '' दिनांक 22.05.2026 लगभग शाम 5:00 बजे की बात है। हमारा होटल प्रधान ढाबा ग्राम महनौरा थाना सोहरामऊ क्षेत्र में स्थित है जहां दिनांक 21.05.26 को रात लगभग 12 बजे हमारा भतीजा हर्षित गुप्ता बैठा हुआ था। तभी होटल पर विपिन राजपूत सरौती व दीपक रावत पुत्र अज्ञात वहां आये और हमारे भतीजे व दीपक रावत में सिगरेट को लेकर बहस हुई उपरोक्त गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गये व दूसरे दिनांक 22.05.26 लगभग शाम 5.00 बजे एक राय होकर जान से मारने की नियत से विपिन राजपूत सरौती, दीपक रावत पुत्र अज्ञात, आशीष टाइगर पुत्र अज्ञात कटी बगिया, हर्षित रावत, संदीप रावत पुत्र अज्ञात भैसौरा, रंजीत लोधी पुत्र राजेश लोधी ग्राम मिश्रापुर 6 अज्ञात व्यक्तियों के साथ लोहे की राड लेकर होटल में घुस आये और भतीजे हर्षित को पूछने लगे। भतीजे के न मिलने पर उपरोक्त दबंगो ने लोहे की राड से मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया और लोहे की राड से बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। मार पीट के बाद उपरोक्त दबंग अपनी कार ITen UP 32 GH 6488 से जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये।

जिसके बाद CHC नवाबगंज ले जाया गया। जहां हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रिफर कर दिया गया वहां पर हाथ पैर व आंख सिर में गम्भीर चोटे आयी हैं। इस घटना के दौरान वहां अमरीश बाबू, अमित कुमार व अन्य स्टाफ मौजूद था।'' प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्नक संख्या–1 के रूप में तथा मुकदमा वादी का मेडिकल प्रपत्र संलग्नक संख्या–2 के रूप में संलग्न है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी पर लगाये गये आरोप पूर्णतया असत्य है। सत्यता यह है कि घटना के समय प्रार्थी/अभियुक्त नवाबगंज उन्नाव में 'आनन्दम रेस्टोरेन्ट' में था जो कि घटनास्थल से 10 किलोमीटर दूर है। सी.सी.टी.वी. कैमरे की फुटेज तथा विडियो प्रार्थी के पास उपलब्ध है। फोटोग्राफ्स संलग्नक संख्या–3 के रूप में संलग्न है तथा प्रार्थी का मोबाइल नं0–9569829292, 9082222366 है, घटना की तिथि व समय पर प्रार्थी की लोकेशन घ ाटना स्थल के पास नहीं थी, प्रार्थी के मोबाइल की लोकेशन आनन्दम रेस्टोरेन्ट नवाबगंज उन्नाव में थी। प्रार्थी पर लगाये गये सभी आरोप बेबुनियाद हैं, मुकदमा वादी एवं प्रार्थी/अभियुक्त थाना बन्थरा क्षेत्र में रहते हैं और मुकदमा वादी, प्रार्थी/अभियुक्त से रंजिश रखता हैं, इसलिए जानबूझ कर उपरोक्त मुकदमें में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम दर्ज कराकर अभियुक्त बना दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष हैं और कोई अपराध कारित नहीं किया है। पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को राजनीतिक दबाव में गिरफ्तार किये जाने का प्रयास किया जा रहा है प्रार्थी को पुलिस गिरफ्तार करने हेतु प्रार्थी के आवास पर आ रही है और प्रार्थी को आशंका है कि पुलिस, प्रार्थी को गिरफ्तारी कर लेगी। यदि प्रार्थी/अभियुक्त को स्थानीय थाने की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उन्हें शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना देगी। जबकि प्रार्थी/अभियुक्त मुकदमें की विवेचना एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करने को तैयार हैं और विवेचक द्वारा बुलाये जाने पर विवेचना में तथा विचारण न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा। प्रार्थी/अभियुक्त थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव में एक दाण्डिक वाद अन्तर्गत धारा–147,148, 323, 504 आई.पी.सी., जिला न्यायालय उन्नाव में विचाराधीन है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के समक्ष अपनी जमानत प्रस्तुत करने को तैयार है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय, अथवा माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा कोई किसी प्रकार का अपराध कारित नहीं किया गया है, मुकदमा वादी द्वारा रंजिशन उसके विरूद्ध एफ०आई०आर० अंकित करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पश्चात् अपनी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा और वाद के परीक्षण में पूर्ण सहयोग करेगा। न्यायहित में प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान मुकदमा अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

3– उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव से इस आशय की आख्या प्राप्त है कि, आवेदक/अभियुक्त अपने सह अभियुक्त के साथ मिलकर गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अब तक की विवेचना से याची/अभियुक्त की अपराध कारित करने में पूर्ण संलिप्तता पायी गयी है। याची/अभियुक्त द्वारा स्वविवेक के आधार पर मनगढ़न्त तरीके कथन अंकित किया गया है। विवेचना साक्ष्य संकलन के स्तर

पर विवेचनाधीन है। याची/अभियुक्त आपराधिक किस्म का व्यक्ति है जिसके विरूद्ध पूर्व में अ0सं0–57/24 धारा 147, 148, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव व 174/2018 धारा 147, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 थाना बन्थरा जनपद लखनऊ में पंजीकृत होकर आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। याची/अभियुक्त द्वारा अपने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सुनियोजित ढंग से अपराध कारित किया गया है। याची/अभियुक्त मुकदमा उपरोक्त में नामित वांछित अभियुक्त है **जो पुलिस व न्यायालय से दूरी बनाये हुए है। याची/अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। याची/अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया जा रहा है।** अग्रिम जमानत का प्रबल विरोध है।

4– धारा 482 बी0एन0एस0एस0 में यह प्रावधान है कि– **गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निदेश**

(1) जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है उसकी किसी **अजमानतीय अपराध** के किये जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के अधीन निदेश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदक कर सकेगा, और यदि वह न्यायालय ठीक समझे तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाये,

(2) जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा (1) के अधीन निदेश देता है तब वह उस विशिष्ट मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन निदेशों में ऐसी शर्तें, जो वह ठीक समझे सम्मिलित कर सकेगा जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है–

(i) यह शर्त है कि वह पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा,

(ii) यह शर्त है कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए बनाने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा,

(iii) यह शर्त कि वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा,

(iv) ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 480 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे अधिरोपित की जा सकती है मानों उस धारा के अधीन जमानत मंजूर की गयी हो।

(3) यदि तत्पश्चात ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारण्ट के बिना गिरफ्तार किया जाता है और वह या तो गिरफ्तारी के समय या जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है तब किसी समय जमानत देने के लिए तैयार है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जायेगा तथा यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट यह विनिश्चत करता है कि उस व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम बार ही वारण्ट जारी किया जाना चाहिये तो वह उपधारा (1) के अधीन न्यायालय के निदेश के अनुरूप जमानतीय वारण्ट जारी करेगा।

(4) इस धारा की कोई बात भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 65 और धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अंतर्वलित करने वाले किसी मामले को लागू नहीं होगी।

5– अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व वादी के प्राइवेट विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक/अभियुक्त के उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का यह तर्क प्रस्तुत करते हुए विरोध किया गया है कि केस डायरी में सलंग्न एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट, बयान मेडिकलकर्ता डा0 शैलेन्द्र अस्थाना व बयान गवाह श्री हर्षित गुप्ता से यह दर्शित है कि उक्त मारपीट में मजरूब आशीष गुप्ता के सिर में बायीं तरफ Frontal bone में फ्रैक्चर पाया गया है व बायें हांथ में फ्रैक्चर पाया गया है। डाक्टर के बयान के अनुसार मजरूब को आई गम्भीर चोटों से उसकी मृत्यु सम्भव है। आवेदक/अभियुक्त आशीष टाइगर ही घटना का पूरा मास्टर मांइड है। प्रकरण विवेचनाधीन है। थाने की आख्यानुसार अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया जा रहा है। दौरान विवेचना बढ़ी हुई धाराओं में आवेदक/अभियुक्त की तरफ से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं है और न ही उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में बढ़ोत्तरी धारा का उल्लेख है। अभियुक्त का दो मुकदमों का आपराधिक इतिहास है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय है व गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त एफ0आई0आर0 में नामजद अभियुक्त है। अतः आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

6– न्यायालय का मत है कि एफ0आई0आर0 के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर यह आरोप है कि दिनांक 21.05.2026 की रात को वादी के होटल प्रधान ढाबा पर अभियुक्त विपिन राजपूत व दीपक रावत आकर वादी के भतीजे से सिगरेट को लेकर गाली गलौज व बहस हुई। तत्पश्चात दूसरे दिन दिनांक 22.05.2026 की शाम को एकराय होकर जान से मारने की नियत से आवेदक/अभियुक्त आशीष कुमार उर्फ आशीष टाइगर अन्य सह अभियुक्तगण विपिन राजपूत, दीपक रावत, हर्षित रावत, संदीप रावत, रंजीत लोधी व छः अज्ञात व्यक्ति लोहे की राड लेकर वादी के होटल में घुस आये और वादी के भतीजे हर्षित को पूंछने पर उसके न मिलने पर उक्त अभियुक्तगण द्वारा लोहे की राड से वादी पर जानलेवा हमला कर बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया। सी0एच0सी0 नवाबगंज में प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल उन्नाव रिफर किया गया। एफ0आई0आर0 में आवेदक/अभियुक्त आशीष कुमार नामजद अभियुक्त है। प्रकरण विवेचनाधीन है। केस डायरी के पर्चा सं0–19 के अवलोकन से, जिसमें विवेचक द्वारा अवलोकन एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट मजरूब आशीष गुप्ता से मजरूब के सिर में बायीं तरफ Frontal bone में फ्रैक्चर पाया गया है व बायें हांथ में फ्रैक्चर पाया गया है। केस डायरी के पर्चा सं0–21 में बयान मेडिकलकर्ता डाक्टर श्री शैलेन्द्र अस्थाना द्वारा यह बयान दिया गया है कि, '' मजरूब के सिर में गम्भीर चोट थी जिससे उसकी मृत्यु हो सकती थी।'' अतः बयान मेडिकलकर्ता चिकित्सक के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा मजरूब वादी को पहुंचाई गई चोटे प्राणघातक प्रकृति की हैं। पूरक केस डायरी के पर्चा सं0–4 में विवेचक द्वारा मुखबिर खास तलब कर जानकारी करने पर मुखबिर खास द्वारा बताया गया कि ''यह पूरी टीम आशीष टाइगर की है। आशीष टाइगर ही इस घटना का मुख्य मास्टर माइंड है।'' उक्त बयान के अनुसार आवेदक/अभियुक्त ही घटना का मास्टर माइंड है। थाने की आख्यानुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया

जा रहा है। आवेदक/अभियुक्त का थाने द्वारा आपराधिक इतिहास प्रस्तुत है। अभियोजन के अनुसार अभियुक्त द्वारा कारित अपराध में आजीवन कारावास के दण्डादेश का प्राविधान होना बताया गया है। अतः अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई सुसंगत सारवान प्रलेख/साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवेदक/अभियुक्त आशीष कुमार उर्फ आशीष टाइगर को क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के आशय से अभियोग लगाकर पुलिस द्वारा आवेदक को फर्जी मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है। धारा–438 दं0प्र0सं0/धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दी गयी शक्तियॉ असाधारण प्रकृति की है। जमानत प्रार्थनापत्र पर ऐसा कोई अभिलेख या साक्ष्य नहीं है जिससे प्रथम दृष्टया यह माना जा सके कि आवेदक/अभियुक्त आशीष कुमार उर्फ आशीष टाइगर के विरूद्ध अभियोग पूर्णतया मिथ्या व निराधार है। अभियोजन बदनियतीपूर्ण है, ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का यह कथन कि उसे मिथ्या अभियोग में गिरफ्तारी की आशंका है, युक्तियुक्त आधारों पर आधारित नहीं है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति, गम्भीरता व अभियुक्त आशीष कुमार उर्फ आशीष टाइगर द्वारा विवेचना में सहयोग न करने आदि को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर न जाकर आवेदक/अभियुक्त आशीष कुमार उर्फ आशीष टाइगर को अग्रिम जमानत प्रदान करने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है। अतः आवेदक आशीष कुमार उर्फ आशीष टाइगर द्वारा उपरोक्त मामले में प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त आधार पर **आवेदक/अभियुक्त आशीष कुमार उर्फ आशीष टाइगर द्वारा मुकदमा अपराध सं0–129/2026, अन्तर्गत धारा–191(2), 115(2), 352, 351(3), 109(1) बी0एन0एस0, थाना सोहरामऊ,** जिला उन्नाव में प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0–1398/2026 अन्तर्गत धारा–482बी0एन0एस0एस0/धारा–438दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है।

दिनांक–04.07.2026

(प्रेम प्रकाश)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 3,
उन्नाव।